बिहार सरकार

ई-मेल/कुरियर **ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक 11325 पटना, दिनांक 08/08/08

ग्रा.वि.-7/इं.आ.यो.(विविध)-21/2008

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभुकों की चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजना के कारगर कार्यान्वयन हेतु व्यवस्थित एवं कालबद्ध प्रकिया अपनाने संबंधी पत्र विभागीय पत्र संख्या-8076 दिनांक-11.06.08 एवं 10414 दि0-23.07.08 द्वारा निर्गत किये गये हैं ।

विदित हो कि आवास एक बुनियादी जरूरत है तथा गृह विहीन परिवार को आवास उपलब्ध होने से उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है एवं समाज में पहचान बनती है । सरकार की चिंता है कि ऐसे जरूरतमंद परिवारों का चयन स्वच्छ एवं पारदर्शी ढ़ंग से हो तथा उन्हें बिना किसी परेशानी एवं बिना घूस दिये हुए सहज रूप से आवास के लिए सहायता राशि उपलब्ध हो जाए । इसी क्रम में पुनः निम्नांकित निदेश दिया जाता है :-

1) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन स्वच्छ एवं पारदर्शी ढंग से हो, इसकी सारी जवाबदेही संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की होगी । लाभुको से यदि किसी कर्मचारी/पदाधिकारी/दलाल/जन प्रतिनिधि द्वारा नाजायज ढंग से राशि ली जाती है तो सूचना मिलते ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी शीघ्र जाँच कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करायेंगें । यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि उक्त कृत्य में वे भी संलिप्त हैं ।

2) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी लाभान्वितों की समय-समय पर क्षेत्र में बैठक बुलाकर/पासबुक वितरण समारोह में, ग्राम विकास शिविरों में अथवा क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पता लगायेंगें कि उनसे किसी ने इंदिरा आवास आवंटित करने अथवा करवाने के नाम पर नाजायज राशि तो नहीं ली है । बैठकों अथवा समारोहों में प्राथमिकता के आधार पर लाभुकों से इस बिन्दु पर पूछताछ करना सुनिश्चित करेंगे ।

3) इंदिरा आवास योजना के लिए निर्धारित कालबद्ध प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । इस क्रम में इंदिरा आवास योजना के निर्धारित लक्ष्य का पंचायतों में संसूचन एवं दीवार लेखन शीघ्र करा दी जाए एवं प्रतीक्षा सूची का दीवार लेखन सभी पंचायतों में पंचायत भवनों/सार्वजनिक भवनों पर करना सुनिश्चित किया जाय ताकि कोई भी ग्रामीण जनता सूची में अपनी स्थिति देख सकें और उनमें कोई असंतोष उत्पन्न नहीं हो । प्रखण्ड मुख्यालयों में भी वर्षवार एवं पंचायतवार इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य की संख्या का दीवार लेखन करावें ।

4) प्रतीक्षा सूची से चयनित लाभुकों को जाँच, बैंकों में खाता खुलवाने आदि के नाम पर कोई उन्हें परेशान नहीं करे इसे भी सुनिश्चित किया जाए । प्रथम किस्त के वितरण में एक सप्ताह से अधिक का विलंब नहीं होनी चाहिए तथा दो माह बाद द्वितीय किश्त की राशि स्वत: लाभुकों के खाते में जमा हो जानी चाहिए ।

5) ऐसा पाया जा रहा है कि प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर ग्रामीण जनता द्वारा की गई शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण राज्य मुख्यालय स्तर पर शिकायतें प्राप्त होती है, जबकि उसका समाधान प्रखण्ड एवं जिला स्तर से हो जाना चाहिए । ऐसे मामलों में यदि संबंधित पदाधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई कर शिकायतकर्ता को उसकी सूचना नहीं दी जाती है, तो वे उसके लिए जिम्मेवार माने जायेंगें ।

उपर्युक्त प्रकिया के अनुपालन का जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त जिला स्तरीय बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा करेंगें एवं शिथिलता बरतने वाले क्षेत्रीय पदाधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करेंगें ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अनूप मुखर्जी)

प्रधान सचिव